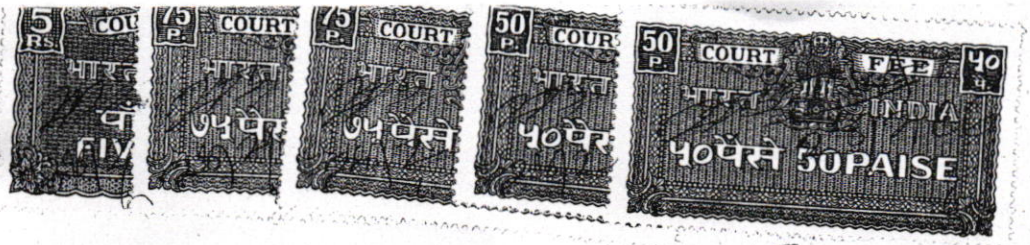

C.F. Rs 7.50

101

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   १९७ निगरानी 66-III/97

१। राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्रप्रसाद ब्राह्मण,
२। सुरेन्द्रप्रसाद पुत्र बसिष्ठराम ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम चुआ, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० — प्रार्थीगण

क्रमांक 162-III
श्री ... द्वारा आज दिनांक 24.2.97 को प्रस्तुत
24.2.97
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

१। उपेन्द्रमणि त्रिपाठी पुत्र शेषप्रसाद ब्राह्मण
२। सुरेन्द्रमणि शर्मा पुत्र श्री शेषप्रसाद ब्रा०
३। धर्मवती पुत्री शेषप्रसाद
४। शकुन्तला पुत्री शेषप्रसाद
सभी निवासीगण साकिन ग्राम कस्तरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० हाल मुकाम झाड़घाट रीवा, म०प्र०
५। लोकेश्वरी देवी पुत्री शेष प्रसाद पत्नी श्री रामावतार शुक्ल साकिन मितरी, जिला सीधी, म०प्र०
६। सूर्यवती पुत्री शेषप्रसाद पत्नी श्री हरिहरप्रसाद पाण्डेय, साकिन पहाड़ी जिला इलाहाबाद, उ०प्र० ------
प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग दिनांक १५-१-९७ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता। प्र०क्रमांक ७४५।९२-९३ अपील।

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 66–दो/1997 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । प्रकरण ग्राह्यता एवं स्थंगन बिन्दु पर श्रवण किये गये। 2/ आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 745/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.01.97 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश पत्रिका का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से पाया कि अनुविभागीय अधिकारी, रीवा ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समयावधित मानकर खारिज किया है । उन्होंने मुख्यतः यह माना है कि नामांतरण पंजी में अनावेदकों के पिता शेषप्रसाद के हस्ताक्षर बने है जबकि अनावेदक का कथन था कि उनके पिता को नामांतरण की कोई जानकारी नहीं थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस कथन का परीक्षण किया जाना नहीं पाया जाता कि पंजी में बने हस्ताक्षर वास्तव में शेष प्रसाद के है या नहीं? बिन परीक्षण के ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना कि कथित हस्ताक्षर शेष प्रसाद के ही है उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का विचाराधीन आदेश साक्ष्य पर	

आधारित न होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी हस्ताक्षर की जांच कर ले, यदि हस्ताक्षर सही पाये जाते है तो म्याद बाहर मानकर किया फैसला विधिसम्मत मान्य रहेगा और यदि हस्ताक्षर सही नहीं पाये जाते है तो म्याद में अपील स्वीकार कर गुण–दोषों के आधार पर अपील का निराकरण करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य